

29.6.18

पत्रावली द्वारा राजस्व लोक कल्याण न्याय कार्य
द्वारा 2018 के कृषि कामगोश में पेश हुई।
विपरीत 1000 रु. के मूल वद कापमा
अधीनमा से निर्णय किया जा चुका है।
इस क्रम में मागमा कार्यवाही का
अधिनियम नहीं रहा। कला इस क्रम
में मागमा कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त
कर न्यायालय द्वारा जारी एगान क्रम
दि 10/11/18 को निरस्त किया जाता है।
पत्रावली के संल सुमार देकर दायित्व दफ्तर
के लिए

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहान